**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1565**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**राष्ट्रीय गैस ग्रिड**

**1565. श्री एस॰ मुत्तुकरुप्पनः**

 क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय गैस ग्रिड विकसित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एककों के साथ संवादमूलक चर्चा आयोजित की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्‍यौरा क्या हैं?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) और (ख) पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण करने अथवा उसका विस्‍तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। पूरे देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्‍धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने प्राकृतिक गैस ग्रिड विकसित करने की परिकल्‍पना की है। वर्तमान में लगभग 16800 कि0मी0 लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन किया जा रहा है और 14700 कि0मी0 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विकास के विभिन्‍न चरणों में है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्‍य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक गैस के लिए मांग वाले क्षेत्रों को आपूर्ति केन्‍द्रों से जोड़ने हेतु बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए अपस्‍ट्रीम, मि‍डस्‍ट्रीम और डाउनस्‍ट्रीम क्षेत्र के विभिन्‍न पणधारकों के साथ परस्‍पर  चर्चा की गई।

\*\*\*\*